1.2.19 वादी अभि. उप.। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री ओमसोनारा के वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रति. सं. 1 ता 3 ने हाजिर आकर राजीनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस प्रति. 4 व 5 दिनांक 8/2/19 को पेश हो। [signature]

8/2/19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं
पत्रावली दिनांक 13.2.19 को पेश हो। [signature]

13/2/19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं
पत्रावली दिनांक 18.2.19 को पेश हो। [signature]

18/2/19 — बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्यों में व्यस्त है~~ अवकाश पर
पत्रावली दिनांक 25.2.19 को पेश हो। [signature]

20.2.19 वादीगण अभिभाषक की ओर से प्रा. पत्र इस आशय का पेश किया गया। राजीनामा हो चुका है बहस पुनः अंतिम किया जावे। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 22.2.19 को वास्ते बहस अंतिम पेश हो। [signature]

22.2.19 उभय पक्ष उप.। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25-2.19 को पेश हो। [signature]

25.2.19 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल रहे। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया। [signature]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Harpreet Singh
Manpreet Singh
गुरचरण सिंह
[signatures]
जसवीर कौर
कुलदीप कौर
ओमप्रकाश

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या 391/2018

1–सुखवीर कौर पत्नी स्व0 श्री मखनसिंह पुत्र बलदेवसिंह उम्र 38 वर्ष जाति जटसिख

2–मनप्रीतसिंह पुत्र स्व0 मखनसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी

3–हरप्रीतसिंह पुत्र स्व0 मखनसिंह उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षक माता सुखवीर कौर पत्नी स्व0 मखनसिंह तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4–जसकरण सिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5–गुरजन्ट सिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख उम्र 52 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1–बलदेवसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख उम्र निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ।

2–कुलदीप कौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी रेशमसिंह निवासी बूडसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3–जसविन्द्र कौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी रूपसिंह निवासी बूडसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4–स्टेट ऑफ जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

5–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबली राठान।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री धीरसिंह बराड़ एडवोकेट वादी

श्री ओम प्रकाश गोदारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर0 टी0 एक्ट0

दिनांक 25.2.19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की बहिन है तथा वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एम ओ डी खाता संख्या 31/25 प0 न0 53/275 मु0 न0 51 किला न0 24,25 प0 न0 54/275 मु0 न0 52 किला न0 21 ता 25 प0 न0 56/276 मु0 न0 55 किला न0 11 ता 22/1 प0 न0 55/276

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

मु0 न0 56 किला न0 15,16,25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 प0 न0 53/276 मु0 न0 58 किला न0 3 ता 8, 14,15 कुल 9.4870 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/275 मु0 न0 53 किला न0 18,22,23,24 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न01 ता 4, 6 ता 14,18,19,22,23 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 6 की कुल 6.5660 है0 कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 के पिता मखनसिंह की मृत्यू होने से विरासतन हक है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर कर्ता हिन्दू खानदान होने के कारण अकेले उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसमे से वादीगण अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने हक हिस्से का त्याग मौखिक रूप से अपने भाई वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया है इसी आधार पर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने घराघरू बंटवारा अर्सा दराज से अच्छी मंदी के हिसाब से कर लिया था वादीगण संख्या 1 से 3 को चक 10 एम ओ डी के खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/.148, .012 रास्ता 2/.241–.012 रास्ता, 3/.241–0.012 रास्ता, 4/.241–.012 रास्ता, 6 ता 9, 10/.106, 12 ता 14, 18,19,22,23 खाता संख्या 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 किला न0 5/.002 कुल क्षेत्रफल 3.810 है0 व वादी संख्या 4 के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एम ओ डी खाता संख्या 31/25 प0 न0 53/275 मु0 न0 51 के किला न0 24,25 प0 न0 53/276 मु0न0 58 किला न0 3 ता 8, 14, 15 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 के किला न 1 ता 4, 5/.249, 6,8,9,10, प0 न0 54/275 मु0 न0 52 किला न0 21 ता 25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/275 मु0 न0 53 किला न0 18,22,23,24 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/0.004 किला न0 11 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 10/0.147 कुल क्षेत्रफल 7.484 है0 तथा वादी संख्या 5 के कब्जा काश्त की भूमि 10 एम ओ डी के खाता संख्या 31/25 प0 न0 56/276 मु0 न0 55 के किला न0 11 ता 21, 22/1 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 के किला न0 15,16,25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 किला 1/.089 ख0 न0 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 5/.002 है0 भूमि में काश्त करते चले आ रहे है परन्तु उक्त भूमि में बट सींव व खाला रास्ता को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवा रकम राज अलग–अलग कायम करवाने का अधिकारी है। किन्तु कृषि भूमि प्रातिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वह उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तमिल करने पर उतारू है इसलिए वादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वह घरेलू विभाजन से प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मान ले व उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरित नहीं करे

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

तो वह इन्कार हो गया यही वाद कारण है। वादीगण दावा में चाहा गया अनुतोष के अनुसार दावा डिकी किया जाने का वादपत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वयं हाजिर आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 10 एम ओ डी खाता संख्या 31/25 कुल खसरा 38 कुल क्षेत्रफल 9.4870 एव चक 10 एम ओ डी के खाता संख्या 44/42 कुल खसरा 22 क्षेत्रफल 5.5660 है0 की प्रमाणित प्रतिलिपिया पेश की है इसके साथ सदस्यता प्रमाण–पत्र जारी सरपंच गांव 10 एम ओ डी प्रस्तुत किया है। वादपत्र का कोई विरोध नहीं होने से कोई तनकीयात कायम नहीं की गई वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अभिभाषक की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का ससुर व वादीगण संख्या 2 व 3 का दादा है उसके नाम से जमाबन्दी चक 10 एम ओ डी चालू में दर्ज कृषि भूमि खाता संख्या 31/25 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.403 है0 व खाता संख्या 44/42 में 1.392 है0 भूमि पैतृक है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 द्वारा हक परित्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। वादी मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है। इस प्रकार वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आने से वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है राजीनामा निर्णय व डिकी का जुज रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। वादीगण मुताबिक राजीनामा घरू बंटवारा में निम्न अनुसार वादीगण संख्या 1 से 3 को चक 10 एम ओ डी के खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/.148, .012 रास्ता 2/.241–.012 रास्ता, 3/.241–0.012 रास्ता, 4/.241–.012 रास्ता, 6 ता 9, 10/.106, 12 ता 14, 18,19,22,23 खाता संख्या 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 5/.002 कुल क्षेत्रफल 3.810 है0 व वादी संख्या 4 के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एम ओ डी खाता संख्या 31/25 प0 न0 53/275 मु0 न0 51 के किला न0 24,25 प0 न0 53/276 मु0न0 58 किला न0 3 ता 8, 14, 15 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 के किला न 1 ता 4, 5/.249, 6,8,9,10, प0 न0 54/275 मु0 न0 52 किला न0 21 ता 25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/275 मु0 न0 53 किला न0 18,22,23,24 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/0.004 किला न0 11 प0 न0 56/276 मु0 न0 56 किला न0

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

5

10/0.147 कुल क्षेत्रफल 7.484 है0 तथा वादी संख्या 5 के कब्जा काश्त की भूमि 10 एम ओ डी के खाता संख्या 31/25 प0 न0 55/276 मु0 न0 55 के किला न0 11 ता 21, 22/1 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 के किला न0 15,16,25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 किला 1/.089 ख0 न0 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 5/.002 है0 कुल 3.759 है0 कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। उक्त अनुसाार वादीगण को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे बाकी खाता बदस्तूर रहे।

यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र पेश करने पर ही डिकी का अमल दरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय व डिग्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25/2/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी मुकाम हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

अनवानः–

सुखवीर कौर बनाम बलदेवसिंह आदि

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर टी एक्ट मु.0 न.399/2018

निर्णय दिनांक

वाद वादीगण का वादपत्र मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है। वादीगण संख्या 1 से 3 को चक 10 एम ओ डी के खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/.148, .012 रास्ता 2/.241–.012 रास्ता, 3/.241–0.012 रास्ता, 4/.241–.012 रास्ता, 6 ता 9, 10/.106, 12 ता 14, 18,19,22,23 खाता संख्या 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 5/.002 कुल क्षेत्रफल 3.810 है0 व वादी संख्या 4 के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एम ओ डी खाता संख्या 31/25 प0 न0 53/275 मु0 न0 51 के किला न0 24,25 प0 न0 53/276 मु0न0 58 किला न0 3 ता 8, 14, 15 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 के किला न 1 ता 4, 5/.249, 6,8,9,10, प0 न0 54/275 मु0 न0 52 किला न0 21 ता 25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/275 मु0 न0 53 किला न0 18,22,23,24 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 1/0.004 किला न0 11 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 किला न0 10/0.147 कुल क्षेत्रफल 7.484 है0 तथा वादी संख्या 5 के कब्जा काश्त की भूमि 10 एम ओ डी के खाता संख्या 31/25 प0 न0 56/276 मु0 न0 55 के किला न0 11 ता 21, 22/1 प0 न0 55/276 मु0 न0 56 के किला न0 15,16,25 खाता संख्या 44/42 प0 न0 55/276 किला 1/.089 ख0 न0 31/25 प0 न0 54/276 मु0 न0 57 किला न0 5/.002 है0 कुल 3.759 है0 कृषि भूमि प्राप्त कर रहा है। उक्त अनुसाार वादी को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे बाकी खाता बदस्तूर रहे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिकी का अमलदरामद किया जावे। राजीनामा डिकी जुज रहेगा।

............×..

लीज...........×...............................मुबलिग.......................×..............................बाबत.........

...................खर्चा...............×...................से

तारीख बसूलयाबी तक बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 25/ 2/ /2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

1—सुखवीर कौर पत्नी स्व0 श्री मखनसिंह पुत्र बलदेवसिंह उम्र 38 वर्ष जाति जटसिख
2—मनप्रीतसिंह पुत्र स्व0 मखनसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी
3—हरप्रीतसिंह पुत्र स्व0 मखनसिंह उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षक माता सुखवीर कौर पत्नी स्व0 मखनसिंह तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4—जसकरण सिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5—गुरजन्ट सिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख उम्र 52 वर्ष निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1—बलदेवसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख उम्र निवासी 10 एम ओ डी तहसील व जिला हनुमानगढ।
2—कुलदीप कौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी रेशमसिंह निवासी बूडसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3—जसविन्द्र कौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी रूपसिंह निवासी बूडसिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4—स्टेट ऑफ जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
5—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबली राठान।

---प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner